



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16112021-231159
CG-MH-E-16112021-231159

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 556]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 12, 2021/कार्तिक 21, 1943

No. 556]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 12, 2021/KARTIKA 21, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 2 नवम्बर, 2021

सं टीएएमपी/54/2021-एमबीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा, आवासीय और मिश्रित अधिग्रहण/व्यवसायों हेतु दरों की अनुसूची के निर्धारण एवं किराया/मुआवजा में संशोधन के लिए 01.10.2012 से 30.09.2017 की अवधि और 01.10.2017 से 30.09.2022 की अवधि के लिए मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव संलग्न आदेशानुसार का निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/54/2021- एमबीपीटी

मुम्बई पत्तन न्यास

आवेदक

गणपूर्ति

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश**(नवंबर 2021 के 01 वें दिन पारित)**

यह मामला, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट से प्राप्त एक प्रस्ताव से संबंधित है जिसमें आवासीय और मिश्रित उपयोग वाले अधिग्रहण/व्यवसायों के लिए 01.10.2012 से 30.09.2017 और 01.10.2017 से 30.09.2022 तक की अवधि के लिए के किराए की दरों की अनुसूची के निर्धारण/मुआवजे में संशोधन के लिए अनुमोदन का अनुरोध किया गया है।

2. एमबीपीटी का प्रस्ताव संशोधित भूमि नीति दिशानिर्देश, 2015 पर आधारित है। प्रस्ताव पर संबंधित उपयोगकर्ताओं/किरायेदारों/पट्टेदारों से परामर्श किया गया था। किरायेदारों/पट्टेदारों से कई टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं। एमबीपीटी ने किरायेदारों/पट्टेदारों की टिप्पणियों का जवाब दिया है।

3. मामले पर प्रक्रियात्मक कार्रवाई के दौरान एकत्र की गई समग्र जानकारी और सामूहिक सोच विचार के आधार पर, इस प्राधिकरण ने, 26 आरआर ज़ोन और 27 आरआर ज़ोन के आवासीय एवं मिश्रित उपयोग हेतु अधिग्रहण/व्यवसायों के लिए किराया/मुआवजा के संबंध में दिनांक 01.10.2012 से 30.09.2017 की अवधि तक के लिए दरों की अनुसूची के निर्धारण और संशोधन के लिए एमबीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव का निपटान करते हुए एक स्पष्ट आदेश पारित किया है।

4. यह प्राधिकरण, एमबीपीटी के आवासीय और मिश्रित उपयोग अधिग्रहण/व्यवसाय हेतु पट्टा किराया अनुसूची निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित किराया अनुसूची, 26 आरआर क्षेत्रों के लिए 01.10.2012 से 30.09.2017 की अवधि के लिए और 27 आरआर क्षेत्रों के लिए 01.10.2017 से 30.09.2022 की अवधि के लिए दरें निर्धारित करना चाहता है :

“क. आवासीय और मिश्रित उपयोग हेतु अधिग्रहण/व्यवसाय के लिए 01.10.2012 से 30.09.2017 की अवधि के लिए दरों की अनुसूची।”

क्रम सं.	आरआर ज़ोन	यूनिट	रेडी रेकनर के अनुसार विवरण	01-10-2012 को, एफएसआई 1.00 के लिए किराया प्रति वर्ग मीटर/माह (रु.)
1	14/101	1	हार्बर रेलवे लाइन के पूर्व पर सभी भाग।	120.00
2	16/110	1	मंडल की पश्चिम हार्बर रेलवे लाइन (भाग) पर उत्तर, पूर्व और दक्षिण सीमा और मंडल की सीमा।	259.00
3	11/86	1, बंडर	हार्बर लाइन के पूर्व की ओर, दक्षिण आचार्य डोंडे मार्ग (किंग एडवर्ड रोड) पर सेवरी रेलवे स्टेशन तक, पूर्वी समुद्र पर, बार्ड की उत्तरी सीमा पर और पश्चिम हार्बर रेलवे लाइन पर। सभी हिस्से घिरे हुए हैं।	69.00
4	11/84	2	पूर्वी बैरिस्टर नाथ पाल मार्ग पर, टी. जीवराज मार्ग, रफी अहमद किदवाई मार्ग पर, पश्चिम जी.डी. अम्बेडकर मार्ग पर, उत्तर जेरबाई वाडिया मार्ग पर। सभी हिस्से घिरे हुए हैं।	332.50
5	11/85क	3	ईस्ट बी.पी.टी. रेलवे लाइन पर, वेस्ट हार्बर रेलवे लाइन पर, साउथ डिवीजन की सीमा पर (फर्स्ट एवेन्यू रोड)।	103.00
6	11/85	4,5 बंडर	ईस्ट डिवीजन की सीमा पर, सेवरी स्टेशन से दक्षिण हिंदुस्तान लेवल कंपनी के ईस्ट साइड रोड की ओर, पश्चिम बी.पी.टी. रेलवे लाइन, दक्षिण मंडल की सीमा पर।	86.50
7	10/79	2,6	पश्चिम मध्य रेलवे लाइन पर पूर्वी मंडल की सीमा (हार्बर रेलवे लाइन और जी.डी. अम्बेडकर मार्ग का हिस्सा) पर, उत्तर मंडल की सीमा पर, दक्षिण संत सावतमालीमार्ग पर दत्ताराम लाउड मार्ग पर मंडल की सीमा पर।	168.00
8	10/79 क	8	पूर्व में बी.पी.टी. रेलवे लाइन, पश्चिम मध्य रेलवे हार्बर लाइन पर, नॉर्थ डिवीजन की सीमा पर फर्स्ट एवेन्यू रोड तक, सभी भूमि का	83.50

क्रम सं.	आरआर जोन	यूनिट	रेडी रेकनर के अनुसार विवरण	01-10-2012 को, एफएसआई 1.00 के लिए किराया प्रति वर्ग मीटर/माह (रु.)
			त्रिकोणीय भाग।	
9	10/80	4,7,8,9, बंडर	पश्चिम बी.पी.टी. दक्षिण जीजाभाई मुलजी राठौड़ मार्ग (वाडी बंडर रोड) पर पूर्वी समुद्र पर और उत्तर बी.पी.टी. पर रेलवे लाइन (ईस्ट ऑयलफील्ड फ्रीवे)। रेलवे लाइन और पहली एवेन्यू रोड। सभी हिस्से घिरे हुए हैं।	84.50
10	10/78ख	8	पूर्व में बी.पी.टी. रेलवे लाइन, पश्चिम मध्य रेलवे हार्बर लाइन पर, दक्षिण जीजाभाई राठौड़ मार्ग (वाडी बंडर रोड) पर सभी भूमि का त्रिकोणीय भाग।	107.50
11	3/36	8,डॉक	पीडी 'मेलो रोड के पूर्व की ओर समुद्र के किनारे (विक्टोरिया डॉक और प्रिंसेस डॉक) तक बी वार्ड के सभी हिस्से।	134.00
12	3/35	10	बी वार्ड की उत्तरी सीमा के बीच का क्षेत्र (रामचंद्र भट्ट मार्ग, 2013), बी वार्ड की दक्षिण सीमा (लोकमान्य तिलक मार्ग, 2013), सेंट्रल रेलवे लाइन और पी.डी'मेलो रोड।	244.50
13	2/23	9, 11, 15 डॉक	इंदिरा डॉक भूमि भाग पी.डी'मेलो रोड के पूर्व की ओर समुद्र तक और जी.पी.ओ. वार्ड की उत्तरी सीमा तक।	265.00
14	2/9	11	रीगल सिनेमा से जनरल पोस्ट ऑफिस तक शहीद भगत सिंह मार्ग।	466.50
15	2/22	11	बैलार्ड एस्टेट हिस्सा। मिंट से जनरल पोस्ट ऑफिस तक शहीद भगत सिंह मार्ग के पूर्व की ओर का हिस्सा इंदिरा डॉक भाग और डॉक रेलवे तक और डिवीजन की सीमा तक का हिस्सा।	273.50
16	2/12	12	रीगल सिनेमा और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच मैडम कामा रोड।	667.50
17	1/6	12, बंडर	कोलाबा भाग: प्रकाश पेटे मार्ग का पूर्वी भाग और जगन्नाथ भोसले मार्ग और मैडम कामा रोड का दक्षिण भाग, उप-क्षेत्र 1/3 के हिस्से को छोड़कर।	534.00
18	1/6क	12	पूर्वी सागर पर, पश्चिम शहीद भगत सिंह रोड पर, दक्षिण होमी भाभा रोड पर उत्तर मंडल की सीमा पर। (नोट संख्या 9 देखें)	494.50
19	1/3	12	कोलाबा से रीगल सिनेमा तक शहीद भगत सिंह मार्ग	1266.00
20	90/419	1	माहुल गांव की सभी संपदाएं	68.50
21	96/436	1	भक्ति पार्क परिसर को छोड़कर आणिक गांव की सभी संपत्तियां	115.00
22	26/81	5	जोन 2क. मंडल मांडा (34)(क) मांडा पश्चिम - मध्य रेलवे लाइन के पश्चिम में सभी संपदाएं	34.50
23	17/119	14	दक्षिण सीतलदेवी मंदिर रोड पर, पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन पर और उत्तर और पश्चिम माहिम क्रीक पर। सभी हिस्से घिरे हुए हैं।	300.50
24	17/116	14	माहिम बंडर	359.00
25	1/5	14	पायलट बंडर (समुद्री कैडेट)	1070.00
26	2/13	15	पीडी' मेलो रोड	629.00

नोट :

- लीज किराया @ 4% वार्षिक वृद्धि के अधीन है और ऐसी पहली वृद्धि 01 अक्टूबर 2013 से प्रभावी होगी।
- उस पर लीज किराया पांच साल की अवधि के लिए लागू रह सकता है।

3. किराए की वास्तविक मात्रा की गणना, एफएसआई की प्रयोज्यता के उद्देश्य से नियुक्त समिति द्वारा सिफारिश के अनुसार आधारभूत किराए और कारक के आधार पर की जाएगी।
4. उपरोक्त दरों में कर, सेवा शुल्क, अर्थदंड, ब्याज-दरें शामिल नहीं हैं।
5. उपरोक्त दरें एमबीपीटी द्वारा किराए पर देने के लिए निर्मित/या स्वामित्व वाली संरचनाओं अर्थात् पी.टी. संरचनाओं के लिए लागू नहीं होंगी।
6. जल निकायों के आवंटन की दर, एसओआर दरों के 50% पर लागू होगी।
7. दिनांक 01.10.2012 से 30.09.2017 तक की अवधि के लिए बकाया-अंतर (डिफरेंशियल एरियर), देनदारियों और अन्य देय राशियों/प्रभारों की गणना उपरोक्त दरों के आधार पर की गई है।
8. ये दरें घरेलू और मिश्रित (घरेलू और गैर-घरेलू) अधिग्रहणों/व्यवसायों के लिए लागू हैं।
9. पुराने ससून डॉक, फेरी घाट और जवाहर द्वीप की भू-संपदा (भूमि) को उपरोक्त दरों से बाहर रखा गया है।
10. ये दरें सार्वजनिक निकायों और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए नाममात्र के किराए पर दिए गए अधिग्रहणों/व्यवसायों के लिए लागू नहीं हैं।
11. बोर्ड की नीति के अनुसार समय-समय पर अनुमेय से अधिक अवधि के लिए ब्याज प्रभार्य होगा।
12. किरायेदारों/पट्टेदारों/लाइसेंसधारियों/रहने वालों को एक महीने के माह के किराए/मुआवजे/लाइसेंस शुल्क की मांग सूचना मिलने या नहीं मिलने पर भी, आगामी माह के 15 वें दिन या उससे पहले भुगतान करना होगा।

ख. घरेलू और मिश्रित (घर+गैर-घरेलू) अधिग्रहणों/व्यवसायों के लिए 01.10.2017 से 30.09.2022 की अवधि के लिए दरों की अनुसूची

क्रम सं.	आर आर ज़ोन	यूनिट	रेडी रेकनर के अनुसार विवरण	01-10-2012 को, एफएसआई 1.00 के लिए किराया प्रति वर्ग मीटर/माह (रू.)
1	14/101	एनडी-यूनिट 1	दादर-नैगौम	575.00
2	14/101क	एनडी - यूनिट 1	दादर-नैगौम	578.20
3	11/86	एनडी/सीडी/बंडर यूनिट 1, 5,13	परेल-सीवरी	601.00
4	11/85क	एनडी- यूनिट 3	परेल-सीवरी	892.23
5	11/85	एनडी/सीडी/बंडर यूनिट 4, 5,13	परेल-सीवरी	842.25
6	11/84	एनडी- यूनिट 2	परेल-सीवरी	856.55
7	11/84क	एनडी- यूनिट 2	परेल-सीवरी	856.55
8	10/80	एनडी/सीडी/एसडी/बंडर यूनिट 4,7,8,9,13	मझगांव	938.50
9	10/79	एनडी/सीडी- यूनिट 2, 6,7	मझगांव	856.55
10	10/79क	एनडी- यूनिट 3	मझगांव	927.92
11	10/78क	सीडी - यूनिट -6, 8	मझगांव	851.20
12	10/78ख	सीडी- यूनिट 8	मझगांव	851.20
13	3/36	एसडी - यूनिट 9	राजकुमारी डॉक	851.20
14	3/35	एसडी/बंडर - यूनिट 9, 10,14	राजकुमारी डॉक	851.20
15	3/35ख	एसडी - यूनिट 9, 10	राजकुमारी डॉक	948.20
16	2/22	एसडी- यूनिट 11	किला	955.18
17	2/23	एसडी/बनर्स यूनिट 9, 11, 15	किला	1057.50
18	2/13	एसडी/बंडर यूनिट 9,11,15	किला	1262.48
19	2/9	एसडी - यूनिट 11	किला	1057.50

क्रम सं.	आर आर ज़ोन	यूनिट	रेडी रेकनर के अनुसार विवरण	01-10-2012 को एफएसआई 1.00 के लिए किराया प्रति वर्ग मीटर/माह (रु.)
20	2/12	एसडी - यूनिट 12	किला	1453.20
21	1/6क	एसडी/बंडर यूनिट 12, 14	कोलाबास	1453.20
22	1/4	बन्दर यूनिट-14	कोलाबा (पायलट बंदर)	1453.20
23	1/3	एसडी - यूनिट 12	कोलाबास	1453.20
24	1/3क	एसडी - यूनिट 12	कोलाबास	1658.00
25	17/119	बीडी - यूनिट 14	माहिमो	950.00
26	17/116	बीडी - यूनिट 14	माहिमो	950.00
27	90/419 पीर पाऊ	एनडी - यूनिट 1	माहुल	269.10

नोट :

1. लीज किराया @ 4% वार्षिक वृद्धि के अध्वधीन है और ऐसी पहली वृद्धि 1 अक्टूबर 2013 से प्रभावी होगी।
2. उस पर लीज किराया पांच साल की अवधि के लिए लागू रह सकता है।
3. किराए की वास्तविक मात्रा की गणना, एफएसआई की प्रयोज्यता के उद्देश्य से नियुक्त समिति द्वारा सिफारिश के अनुसार आधारभूत किराए और कारक के आधार पर की जाएगी।
4. उपरोक्त दरों में कर, सेवा शुल्क, अर्थदंड, ब्याज-दरें शामिल नहीं हैं।
5. उपरोक्त दरें एमबीपीटी द्वारा किराए पर देने के लिए निर्मित/या स्वामित्व वाली संरचनाओं अर्थात् पी.टी. संरचनाओं के लिए लागू नहीं होंगी।
6. जल निकायों के आवंटन की दर, एसओआर दरों के 50% पर लागू होगी।
7. दिनांक 01.10.2012 से 30.09.2017 तक की अवधि के लिए बकाया-अंतर (डिफरेंशियल एरियर), देनदारियों और अन्य देय राशियों/प्रभारों की गणना उपरोक्त दरों के आधार पर की गई है।
8. ये दरें घरेलू और मिश्रित (घरेलू और गैर-घरेलू) अधिग्रहणों/व्यवसायों के लिए लागू हैं।
9. पुराने ससून डॉक, फेरी घाट और जवाहर द्वीप की भू-संपदा (भूमि) को उपरोक्त दरों से बाहर रखा गया है।
10. ये दरें सार्वजनिक निकायों और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए नाममात्र के किराए पर दिए गए अधिग्रहणों/व्यवसायों के लिए लागू नहीं हैं।
11. बोर्ड की नीति के अनुसार समय-समय पर अनुमेय से अधिक अवधि के लिए ब्याज प्रभार्य होगा।
12. किरायेदारों/पट्टेदारों/लाइसेंसधारियों/रहने वालों को एक महीने के माह के किराए/मुआवजे/लाइसेंस शुल्क की मांग सूचना मिलने या नहीं मिलने पर भी, आगामी माह के 15 वें दिन या उससे पहले भुगतान करना होगा

”

5. इस प्राधिकरण द्वारा पारित स्पष्ट आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) अलग से सूचित किया जाएगा और एमबीपीटी और संबंधित किरायेदारों/पट्टेदारों को समय पर सूचित कर दिया जाएगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य(वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./418/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, the 2nd November 2021

No. TAMP/54/2021-MBPT.— In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for fixation of Schedule of Rates and revision of rent / compensation for the period 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022 for residential and mixed used occupations, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports**Case No. TAMP/54/2021-MBPT****Mumbai Port Trust**

Applicant**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER(Passed on this 01st day of November 2021)

This case relates to a proposal received from Mumbai Port Trust seeking approval for fixation of Schedule of Rates and revision of rent / compensation for the period 01.10.2012 to 30.09.2017 and 01.10.2017 to 30.09.2022 for residential and mixed used occupations.

2. The proposal of MBPT is based on the amended Land Policy Guidelines, 2015. The proposal was taken on consultation with the relevant users/ tenants/ lessees. Many comments were received from the tenants/ lessees. The MBPT has responded to the comments of the tenants/ lessees.

3. With reference to the totality of information collected during the processing of the case and based on a collective application of mind, this Authority has passed a speaking Order disposing of the proposal filed by the MBPT for fixation of Schedule of Rates and revision of rent / compensation in respect of 26 RR zones for the period 01.10.2012 to 30.09.2017 and 27 RR zones for residential and mixed used occupations.

4. This Authority desires that the following Rent Schedule for MBPT prescribing Lease rentals Lease rentals in respect of 26 RR zones for the period 01.10.2012 to 30.09.2017 and 27 RR zones for the period 01.10.2017 to 30.09.2022 for residential and mixed used occupations:

“

A. Schedule of rates for the period from 01.10.2012 to 30.09.2017 for residential and mixed used occupations.

Sr. No.	RR Zone	Unit	Description as per Ready Reckoner	Rentals per Sqm. per month for FSI 1.00 as on 01.10.2012 (₹.)
1	14/101	1	All the Portion on East of Harbour Railway Line.	120.00
2	16/110	1	North, East & South boundary of Division, on West Harbour Railway Line (Part) and boundary of the Division.	259.00
3	11/86	1, Bunders	Portion towards East of Harbour Line, On South Acharya Donde Marg (King Edward Road) upto Sewri Railway Station, on East sea, on North boundary of ward and on West Harbour Railway Line. All the portion surrounded.	69.00
4	11/84	2	On East Barister Nath Pal Marg, T. Jeevraj Marg, Rafi Ahmed Kidwai Marg, on West G.D. Ambedkar Marg, on North Jerbai Wadia Marg. All the portion surrounded.	332.50
5	11/85A	3	On East B. P. T. railway line, on West	103.00

Sr. No.	RR Zone	Unit	Description as per Ready Reckoner	Rentals per Sqm. per month for FSI 1.00 as on 01.10.2012 (₹.)
			Harbour railway line, on South Division boundary (First Avenue Road).	
6	11/85	4,5,Bunders	On East Division boundary, from Sewri Station toward south Hindustan Level Company's East side Road, on West B.P.T. Railway Line, on South Division boundary.	86.50
7	10/79	2,6	On East division boundary (portion of Harbour Railway line and G.D. Ambedkar Marg) on West central railway line, division boundary, on North division boundary, Dattaram Laud Marg, on South Sant Savatmalimarg.	168.00
8	10/79 A	8	On East B.P.T. railway line, on West central railway harbour line, on North Division boundary upto First Avenue Road, triangular portion of all the land.	83.50
9	10/80	4,7,8,9, Bunders	On West B.P.T. Railway Line (East Oilfield Freeway) on East sea on South Jijabhai Mulji Rathod Marg (Wadi Bunder Road) and on North B.P.T. Railway line and first Avenue Road. All the portion Surrounded.	84.50
10	10/78B	8	On East B.P.T. Railway line, on West Central railway harbour line, on south Jeenabai Rathod Marg (Wadi Bunder Road) triangular portion of all the land.	107.50
11	3/36	8,Docks	All portion of B Ward on Eastside of P.D' Mello Road upto sea shore (Victoria Dock & Princess Dock).	134.00
12	3/35	10	Area Between North Boundary of B Ward (Ramchandra Bhatt Marg,2013), South Boundary of B Ward (Lokmanya Tilak Marg,2013), Central Railway Line and P.D'Mello Road.	244.50
13	2/23	9, 11, 15 Docks	Indira Dock land Portion towards East of P.D'Mello Road upto sea and from G.P.O. to North boundary of Ward.	265.00
14	2/9	11	Shahid Bhagat Singh Marg from Regal Cinema to General Post Office.	466.50
15	2/22	11	Ballard Estate part. Portion towards East of Shahid Bhagat Singh Marg from Mint to General Post Office upto indira Dock Portion and Dock railway and portion upto division boundary.	273.50
16	2/12	12	Madam Cama Road between Regal Cinema and Gateway of India.	667.50
17	1/6	12, Bunders	Colaba portion: East portion of Prakash Pethe Marg and Jagannath Bhosale Marg and South portion of Madam Cama Road, except portion of Sub-zone 1/3 above.	534.00
18	1/6A	12	On East Sea, on West Shahid Bhagat Singh Road, on South Homi Bhabha Road on North division boundary. (Refer Note No.9)	494.50
19	1/3	12	Shahid Bhagat Singh Marg from Colaba to Regal Cinema	1266.00
20	90/419	1	All the properties of Mahul village	68.50
21	96/436	1	All the properties of Aanik village, except Bhakti Park Complex	115.00

Sr. No.	RR Zone	Unit	Description as per Ready Reckoner	Rentals per Sqm. per month for FSI 1.00 as on 01.10.2012 (₹.)
22	26/81	5	Zone 2A. Division Manda (34)(A) Manda West - All properties on West of Central Railway Line	34.50
23	17/119	14	on South Sitladevi Temple Road, on East Western Railway Line and on North and West Mahim Creek. All the portion surrounded.	300.50
24	17/116	14	Mahim Bunder	359.00
25	1/5	14	Pilot Bunder (Sea Cadet)	1070.00
26	2/13	15	PD'Mello Road	629.00

NOTES:

1. The lease rent is subject to an increase @ 4% p.a. and that first such increase shall be effective from 01 October 2013.
2. The lease rentals may remain in force for a period of five years thereon.
3. Actual quantum of Rent will be worked out on the base rent and factor as may be recommended by the committee appointed for the purpose of applicability of FSI.
4. Taxes, service charges, penalties, interest rates are not included in the above rates.
5. Above rates are not applicable for letout structures constructed / owned by MBPT i.e. P.T. Structures.
6. Rate for allotment of water bodies is applicable at 50% of the SOR rates.
7. Differential Arrears, liabilities and other dues/charges for a period from 01.10.2012 to 30.9.2017 are calculated based on above rates.
8. These rates are applicable for Home and Mixed (Home and Non-Home) Occupations.
9. Estate lands of Old Sassoon Dock, Ferry Wharf and Jawahar Dweep are excluded from the above rates.
10. These rates are not applicable to occupations given on nominal rents to public bodies and for public amenities.
11. Interest would be chargeable beyond permissible period as per Board's policy from time to time.
12. Whether demanded or not, rent/ compensation/ license fee for a month would have to be paid by the tenants/ lessees/ licensees/ occupants on or before the 15th day of each succeeding month.

B. Schedule of Rates for the period from 01.10.2017 to 30.09.2022 for Home and Mixed (Home+Non-home) Occupations

Sr. No.	RR Zone	Unit	Description as per Ready Reckoner	Rentals per Sqm. per month for FSI 1.00 as on 01.10.2017 (₹.)
1	14/101	ND -Unit 1	Dadar-Naigaum	575.00
2	14/101A	ND – Unit 1	Dadar-Naigaum	578.20
3	11/86	ND/CD/ Bunders Unit 1, 5,13	Parel-Sewree	601.00
4	11/85A	ND- Unit 3	Parel-Sewree	892.23
5	11/85	ND/CD/ Bunders Unit 4, 5,13	Parel-Sewree	842.25
6	11/84	ND- Unit 2	Parel-Sewree	856.55
7	11/84A	ND- Unit 2	Parel-Sewree	856.55
8	10/80	ND/CD/ SD/Bunders Unit 4,7,8,9,13	Mazgaon	938.50
9	10/79	ND/CD- Unit 2, 6,7	Mazgaon	856.55
10	10/79A	ND- Unit 3	Mazgaon	927.92
11	10/78A	CD – Unit-6, 8	Mazgaon	851.20
12	10/78B	CD- Unit 8	Mazgaon	851.20

Sr. No.	RR Zone	Unit	Description as per Ready Reckoner	Rentals per Sqm. per month for FSI 1.00 as on 01.10.2017 (₹.)
13	3/36	SD - Unit 9	Princess Dock	851.20
14	3/35	SD/Bunders - Unit 9, 10,14	Princess Dock	851.20
15	3/35B	SD - Unit 9, 10	Princess Dock	948.20
16	2/22	SD- Unit 11	Fort	955.18
17	2/23	SD/Bunders Unit 9, 11, 15	Fort	1057.50
18	2/13	SD/Bunders Unit 9,11,15	Fort	1262.48
19	2/9	SD - Unit 11	Fort	1057.50
20	2/12	SD - Unit 12	Fort	1453.20
21	1/6A	SD/Bunders Unit 12, 14	Colaba	1453.20
22	1/4	Bunders Unit-14	Colaba (Pilot Bunder)	1453.20
23	1/3	SD - Unit 12	Colaba	1453.20
24	1/3A	SD - Unit 12	Colaba	1658.00
25	17/119	BD - Unit 14	Mahim	950.00
26	17/116	BD - Unit 14	Mahim	950.00
27	90/419 Pir Pau	ND - Unit 1	Mahul	269.10

NOTES:

1. The lease rent is subject to an increase @ 4% p.a. and that first such increase shall be effective from 01 October 2018.
2. The lease rentals may remain in force for a period of five years thereon.
3. Actual quantum of Rent will be worked out on the base rent and factor as may be recommended by the committee appointed for the purpose of applicability of FSI.
4. Taxes, service charges, penalties, interest rates are not included in the above rates.
5. Above rates are not applicable for letout structures constructed / owned by MBPT i.e. P.T. Structures.
6. Rate for allotment of water bodies is applicable at 50% of the SOR rates.
7. Differential Arrears, liabilities and other dues/charges for a period from 01.10.2017 to 30.9.2022 are calculated based on above rates.
8. These rates are applicable for Home and Mixed (Home and Non-Home) Occupations.
9. Estate lands of Old Sassoon Dock, Ferry Wharf and Jawahar Dweep are excluded from the above rates.
10. These rates are not applicable to occupations given on nominal rents to public bodies and for public amenities.
11. Interest would be chargeable beyond permissible period as per Board's policy from time to time.
12. Whether demanded or not, rent/ compensation/ license fee for a month would have to be paid by the tenants/ lessees/ licensees/ occupants on or before the 15th day of each succeeding month.

”

5. The Speaking Order passed by this Authority will be intimated separately and communicated to the MBPT and the relevant tenants/ lessees in due course of time.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./418/2021-22]